न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2013 R - 1998 - PBR/13

एच.जी. इन्फ्राटेक प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर
धीरज प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री भानुप्रकाश
अग्रवाल निवासी–गोविन्द बाग, गांधी रोड,
ग्वालियर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

दिव्यांशी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी / डायरेक्टर
यशकुमार गोयल पुत्र स्व. श्री हरीशंकर गोयल
निवासी– दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर

.... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 243 /12–13/ बी–121 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्र. 477, 483, 481/2, 491/1, 491/2, 493, 494, 495 एवं 501/1 ग्राम खुरैरी, तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित है।
2. यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपर्युक्त भूमियों का सीमांकन कराया गया था जो प्रकरण क्रमांक 16/11–12/ अ–12 में न्यायालय अपर तहसीलदार, वृत्त मुरार के आदेश दिनांक 09.07.2012 [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1998-पीबीआर/2013 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	NO 30/5